3

य उपखण्ड अधिकारी एवं उपजिला मजिस्ट्रेट, छबड़ा जिला बारां (राज.)

डिक्री

68/14	धारा अंतर्गत 188	53 RTA	निर्णय दिनांक 30/6/15

श्री विनय लाल मीना RAS

उपस्थिति :- अभिभाषक वादी —	अभिभाषक प्रतिवादी —

वाद शीर्षक

राजस्व लोक अदालत कैम्प कोर्ट ...

(1) सोनीलाल पुत्र (2) नेनकराम पुत्र (3) मोहनराम पुत्र (4) जेसी बाई पुत्री S/o प्रभु लाल जाति चमार निवासीगण- मोरेला तह. छबड़ा (वादी)

V/S

(1) छोटर लाल पुत्र (2) मोहनलाल पुत्र (3) कमोदीबाई पुत्री (4) रामप्यारी पुत्री (5) केला बाई पुत्री (6) कन्ना बाई पुत्री समस्त के पिता- देवा चमार (7) धूलमा पुत्र (8) गणपत पुत्र (9) गुलाब बाई पुत्री (10) हीरा बाई पुत्री समस्त के पिता भगवा चमार - (11) सोमा पुत्र किशना चमार (12) पुष्पा बाई पुत्री किशना चमार समस्त जाति चमार निवासी गण. मोरेला तह. छबड़ा (प्रतिवादीगण)

(13) सरपंच ग्राम पं. मोरेला तह. छबड़ा

निर्णयार्थ प्रस्तुत वाद में यह आदेशित किया जाता है और तदनुरुप डिक्री निर्गत की जाती है कि

राजस्व लोक अदालत कैम्प में मौखिक पर मुद्दे उभय वादी का वाद आधार स्वीकार किया, आराजी ग्राम- मोरेला ख0 नं0 42/3.03, 48/0.15, 91/9.05, 92/2.05 कि ता 4 रकबा 16 बीघा 0 बिस्वा श्री निखिल हिस्सा वादीगण सं. 1 ता 4 का 1/4 हिस्सा एवं प्रतिवादी नं0 1 ता 6 का 1/4 हिस्सा, प्रतिवादी नं. 7 ता 10 का 1/4 हिस्सा एवं प्रतिवादी नं. 11 ता 12 का 1/4 हिस्सा, खाता प्रथक-प्रथक करने हेतु अन्तर्गत अन्तर्गत कुर्की के हेतु कुर्की, सरप-नरप, मौके पर कब्जा, रास्ते का ध्यान रखते हुए विभाजन प्रस्ताव तैयार करने बाबत तहसीलदार छबड़ा को आदेशित किया जाता है।

साथ ही निम्नानुसार.....रु. का व्ययानुतोष.....द्वारा.....को प्रदान किया जाए

उक्त आदेश मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा के साथ आज दिनांक 30/6/15 को निर्गत किया गया।

30/6/15

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा जिला बारां (राज.)

हस्ताक्षर
उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा

व्ययानुतोष

क्र.सं.	व्यय-मद	वादी	प्रतिवादी
1.	वाद पत्र/लिखित कथन (स्टाम्प+लेखन सामग्री व्यय)		
2.	अभिभाषक पत्र (स्टाम्प+लेखन सामग्री व्यय)		
3.	साक्ष्य पत्रक (स्टाम्प+लेखन सामग्री व्यय)		
4.	प्रार्थना पत्र (स्टाम्प+लेखन सामग्री व्यय)		
5.	पारिश्रमिक अभिभाषक		
6.	व्यय साक्षी		
7.	फीस कमिश्नर		
8.	अन्य/क्षतिपूर्ति		
9.	ब्याज(%)		
	योग		